संख्या—563 / आ.ब.—2 / विकास—प्रबन्धन परामर्शदाता / 2001प्रे

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
अधिशाषी निदेशक,
आवास बन्धु, उ.प्र.

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास बन्धु, लखनऊः दिनाँक— 8 अक्टूबर, 2001

विषय : प्राधिकरणों के लिए वित्त प्रबन्धन परामर्शदाता के किया कलापों में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषय में शासनादेश संख्या 102क / आ.ब. / नि.स. / आडिट / 2000—2001 दिनांक : 4.5.2000 के अनुपालन में आवास बन्धु द्वारा सभी प्राधिकरणों के मैनेजमेंट आडिट हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का चयन कर उनका कार्य क्षेत्र एवं व्यवस्था जिसके अन्तर्गत उन्हें कार्य करना है निर्धारित की गई थी जिसके अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को प्रत्येक माह मैनेजमेंट आडिट रिपोर्ट की एक प्रति प्रमुख सचिव, आवास को, एक प्रति आवास बन्धु को तथा एक प्रति अध्यक्ष विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना था ।

उक्त व्यवस्था पर कतिपय प्राधिकरणों से कुछ कठिनाईयां एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर विचारोपरान्त कार्यप्रणाली में निम्न संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :—

1. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, प्रत्येक माह की मैनेजमेंट आडिट रिपोर्ट अपने सुझाव सहित अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे जिसकी एक प्रति वे अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु के माध्यम से शासन को तथा एक प्रति सम्बन्धित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे ।

2. उक्त रिपोर्ट पर आगामी बोर्ड बैठक में एक प्रस्तुतीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा। अतैव उपाध्यक्ष द्वारा अनुरोध किये जाने पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा यह प्रजेन्टेशन उपाध्यक्ष के समक्ष भी पहले कर दिया जाए ताकि समुचित चर्चा सुनिश्चित हो। उपाध्यक्ष इस रिपोर्ट पर ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट भी बोर्ड में प्रस्तुत करेंगे ।

अतः उपरोक्त विषय में पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया को उक्त सीमा तक संशोधित करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने प्राधिकरण हेतु नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को उक्त संशोधन की जानकारी देने का कष्ट करें ।

भवदीय

संजय भूसरेड्डी
अधिशाषी निदेशक।

प्रतिलिपि : सूची में अंकित समस्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

भवदीय

संजय भूसरेड्डी
अधिशाषी निदेशक।